बिहार सरकार

परिवहन विभाग,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2546449

विज्ञापन संख्या–स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)–05–23/2018 (भाग–2), 139 दिनांक 28.02.20

नियोजन हेतु विज्ञापन–01/2020

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित **"लीड एजेन्सी"** के लिए **"कार्यपालक पदाधिकारी"** के एकल पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में **आवेदन पत्र** आमंत्रित किए जाते हैं :–

पद का नाम	पद की संख्या	प्रतिमाह कुल वेतन	अधिकतम उम्र सीमा (01.02.2020 को)	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
1	2	3	4	5
कार्यपालक पदाधिकारी	1 (अनारक्षित)	रू0 80,000/–अस्सी हजार मात्र (नियत)	अन्य उम्मीदवार हेतु–55 वर्ष सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी हेतु–62 वर्ष	अभियांत्रिकी के किसी भी संकाय से स्नातक एवं पूर्णकालिक एम.बी.ए./पी.जी.डी.एम. की उपाधि तथा किसी प्रतिष्ठित संस्थान में वरिष्ठ प्रशासनिक अथवा प्रबंधकीय पद पर कम–से–कम 10 वर्षों का कार्य–अनुभव **अथवा** **सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के मामले में**:– बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार अभियांत्रिकी सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिन्हें सड़क/सड़क सुरक्षा/परिवहन अथवा अन्य किसी आधारभूत संरचना विभाग में या किसी External Donor Agency द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। बि.प्र.से. के पदाधिकारी के मामले में, जो उप सचिव से अन्यून पद से सेवानिवृत्त हुए हों, बि.अभि.से. के पदाधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता से अन्यून कोटि के पद एवं वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हों। (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं होगी)

शर्तें–

1. विज्ञापित पद का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मेधा अंक, कार्य दायित्व के विवरण एवं नियोजन के शर्तों की विस्तृत जानकारी **विभागीय वेब साइट www.transport.bih.nic.in** पर उपलब्ध है।
2. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य–सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. आवेदन पत्र समर्पित करने की **अंतिम तिथि 13.03.2020 को अपराह्न 06.00 बजे** तक है। आवेदन पत्र स्वंय जमा करायें या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजें। **अन्तिम तिथि एवं समय** के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा।

28/2

सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य–सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

बिहार सरकार

<u>परिवहन विभाग,</u>
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2546449

विज्ञापन संख्या–स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)–05–23/2018 (भाग–2)................

<u>आवेदन का विहित प्रपत्र</u>
(कार्यपालक पदाधिकारी पद के लिए)

हाल का फोटो

1. आवेदक का नामः–..
2. आवेदक के पिता/पति का नामः–..
3. स्थायी पताः–..
 ....
4. पत्राचार का स्थानीय पताः–...
 ....
5. मोबाईल नं0ः–..................................ई–मेल आई. डी..............................
6. जन्म तिथिः–....................................दिनांक 01.02.2020 को उम्रः–...............
7. आरक्षण कोटिः–..
8. शैक्षणिक योग्यताः–...
9. तकनीकी योग्यताः–...
10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं)ः–..
11. पूर्व अनुभव (अवधि का नाम)ः–..
12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो, तो)ः–...
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो, तो उसका विवरणः–...................
 ....
14. लंबित विभागीय कार्रवाईः–...
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो, तो उसका विवरणः–..............
 ....
16. कार्य अनुभव का ब्यौराः–...

(नोटः–सभी प्रमाण पत्र (शैक्षणिक/अनुभव) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

<u>घोषणा</u>

मैं..यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

15

नियोजन हेतु सामान्य शर्तें:–

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक–एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामले में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
2. सेवा निवृत सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जायगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. वैसे आवेदक, जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा निर्गत किया जायगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायगा।

सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।